न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—50/2020 (2020/00110) दर्ज दिनांक 08.06.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मांगीलाल आत्मज दोला नायक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राधा पत्नि दोला नायक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. सोहनलाल आत्मज दोला नायक निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लादुलाल आत्मज भोलीराम ब्राह्मण निवासी गालोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. पप्पु आत्मज भोलीराम ब्राह्मण निवासी गालोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. भग्गा आत्मज गिरधारी भील निवासी नाथजी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. देवकिशन आत्मज नाथु खारोल निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. पन्नालाल आत्मज बिहारीलाल आचार्य निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. जीतमल आत्मज बिहारीलाल आचार्य निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. रूकमणदेवी पत्नि भोनीराम खारोल निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री रितेश सुराणा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—04.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जो काश्त की आराजि[illegible] 1338/1232 रकबा 0.13 हे0, 134 रकबा 0.05 हे0, 1340/133[illegible] हे0, 136 रकबा 1.16 हे0, 136/1249 रकबा 0.20 हे0 [illegible] कुल किता 07 रकबा 1.97 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 89 पर स्थित है। भूमि प्रा[illegible] के खातेदारी अधि[illegible] है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 07 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1338 / 1232 रकबा 0.13 हे0, 134 रकबा 0.05 हे0, 1340 / 133 रकबा 0.10 हे0, 135 रकबा 0.05 हे0, 136 रकबा 1.16 हे0, 136 / 1249 रकबा 0.20 हे0, 144 रकबा 0.28 हे0 कुल किता 07 रकबा 1.97 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 89 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं।

उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700 / — (सात सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700 / — (सात सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner